फरीदाबाद
मजदूर समाचार
राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया
नई सीरीज नम्बर 193 जुलाई 2004

कहत कबीर
मण्डी के विरोध के लिये, मनुष्य के मण्डी में माल बन जाने के विरोध के लिये विज्ञान की, साइन्स की आलोचना एक प्रस्थान-बिन्दू है।

मसला यह व्यवस्था है (2)

इस-उस नीति, इस-उस पार्टी, यह अथवा वह लीडर की बातें शब्द-जाल हैं, शब्द-आडम्बर हैं

✶राजे-रजवाड़ों के दौर में, बेगार-प्रथा के दौर में मण्डी-मुद्रा का प्रसार कोढ में खाज समान था। छोटे-से ग्रेट ब्रिटेन के इंग्लैण्ड-वेल्स-स्कॉटलैण्ड-आयरलैण्ड में भेड़ों ने, भेड़-पालन ने मनुष्यों को जमीनों से खदेड़ा। कैदखानों में जबरन काम करवाने, दागने, फाँसी देने के संग-संग बेघरबार किये गये लोगों को दोहन-शोषण के लिये दूरदराज अमरीका-आस्ट्रेलिया जैसे स्थानों पर जबरन ले जाया गया। उन स्थानों के निवासियों के लिये तो जैसे शामत ही आ गई हो। गुलामी जिनकी समझ से बाहर की चीज थी उन अमरीकावासियों के कत्लेआम किये गये। अफ्रीका से गुलाम बना कर लोगों को अमरीकी महाद्वीपों में काम में जोता गया। ✶फैक्ट्री-पद्धति ने मण्डी-मुद्रा के ताण्डव को सातवें आसमान पर पहुँचा दिया। मजदूर लगा कर मण्डी के लिये उत्पादन वाली फैक्ट्री-पद्धति को भाप-कोयले ने, भाप-कोयला आधारित मशीनरी ने स्थापित किया। इसके संग दस्तकारी और किसानी की मौत, दस्तकारी-किसानी की सामाजिक मौत आरम्भ हुई। छोटे-से ग्रेट ब्रिटेन के कारखानों में 6-7 वर्ष के बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम में जोता गया और ... और बेरोजगार बने-बनते लाखों लोगों के लिये अनजाने, दूरदराज स्थानों को पलायन मजबूरी बने। ✶फ्रान्स-जर्मनी-इटली में फैक्ट्री-पद्धति के प्रसार के संग वहाँ भी आरम्भ हुई दस्तकारी-किसानी की सामाजिक मौत लाखों को मजदूर बनाने के संग-संग यूरोप से बड़े पैमाने पर लोगों को खदेड़ना भी लिये थी। अमरीका... आस्ट्रेलिया... लोगों से "भर गये"। ✶बिजली ने रात को भी काम के लिये खोल दिया। फैक्ट्री-पद्धति ने हमारी नींद ही नहीं उड़ाई बल्कि मारामारी का वह अखाड़ा भी रचा कि 1914-19 के दौरान ढाई करोड़ लोग और 1939-45 के दौरान पाँच करोड़ लोग तो युद्धों में ही मारे गये। ✶अब फैक्ट्री-पद्धति में यह इलेक्ट्रोनिक्स का दौर है। फैक्ट्री-पद्धति का प्रसार पृथ्वी के कौने-कौने में और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है। इस दौर में एशिया-अफ्रीका-दक्षिणी अमरीका में दस्तकारी-किसानी की सामाजिक मौत तीव्र गति से हो रही है। भारत के, चीन के करोड़ों तबाह दस्तकार-किसान कहाँ जायें? इलेक्ट्रोनिक्स द्वारा दुनियाँ-भर में बेरोजगार कर दिये गये, बेरोजगार किये जा रहे करोड़ों मजदूर कहाँ जायें?

यहाँ हम स्वयं मनुष्यों के मण्डी में माल बन जाने पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। आरम्भ के लिये आईये कोमल भावनाओं से ओत-प्रोत शिशु और बालिग सम्बन्धों की वर्तमान व्यवस्था में स्थिति पर एक नजर डालें।

—मण्डी के दबदबे से पूर्व की धारणाओं-मान्यताओं के तहत जो लोग बच्चे पैदा करते हैं वे अनाड़ी हैं और वर्तमान व्यवस्था में असफलता ही उनकी नियति है, ऊँच-नीच की सीढी के निचले पायदान पर रहना उनका जीवन है। आधुनिक प्रश्न यह हैं : बच्चे पैदा करने हैं या नहीं? एक बच्चा-बच्ची पैदा करना है या दो? कब पैदा करना है? आज 'सफल' जीवन की आशा तक ने इन कठोर-निष्ठुर प्रश्नों के सटीक हिसाब-किताब वाले उत्तर अनिवार्य कर के कोमल भावनाओं को तराजू में वजनहीन घोषित किया हुआ है।

—भारतीय उपमहाद्वीप व कई अन्य क्षेत्रों को देखें तो आज (भी) लड़की का जन्म ही एक अभिशाप है। पुरुष-प्रधानता की धारणायें मण्डी के दबदबे में अधिक असहनीय हो गई हैं। शैशव काल में ही लड़कियों के प्रति कोमल भावनायें तराजू के पलड़े में वजनहीन ही नहीं बल्कि नकारात्मक भाव लिये हैं।

— जन्म के पश्चात नहीं बल्कि जन्म से पूर्व ही भविष्य की होड़ के सन्दर्भ में शिशु के स्वास्थ्य के प्रति माता-पिता की अत्याधिक चिन्ता हवस के स्तर में प्रवेश कर रही है। जीवन द्वारा स्वयं को स्वस्थ रखने की क्षमता-योग्यता पर दवाइयाँ-डॉक्टर-अस्पताल गर्भ से ही आमतौर पर चोट दर चोट मार रहे हैं। शिशु के बड़े होने पर उसके मण्डी में मोल की यह चिन्तायें हैं जो प्रेमपूर्ण आराम का गला कर्तव्य की डोर से घोंट रही हैं।

ऊँच-नीच। आधुनिक ऊँच-नीच। अखाड़ा-मण्डी। विश्व मण्डी। होड़-प्रतियोगिता-कम्पीटीशन का सर्वग्रासी अभियान। स्वयं मनुष्यों का मण्डी में माल बन जाना। यह है वर्तमान समाज व्यवस्था।

— शैशव काल की स्वाभाविक क्रियाओं पर पाबन्दियाँ लगाना अथवा उन्हें प्रदर्शन की वस्तुयें बनाना दो छोर हैं जिन्हें मण्डी का दबदबा थोपता है। ऐसे में शिशुओं की सीधी-सच्ची बातों को माता-पिता अकसर फालतू की और हानिकारक घोषित करते हैं। यह शिशु अवस्था में ही चंट-चालाक बनना-बनाना है, टेढेपन का आरम्भ है।

—इस व्यवस्था में बढती जलालत लिये अपनी जिन्दगी को बरदाश्त करने का प्रमुख कारण व्यापक स्तर पर माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को बनाना बताते हैं। तनाव-कुंठा में अपने रोने-धोने को माता-पिता शिशु के प्रति प्रेम-प्रदर्शन तक कहते हैं। तनावग्रस्त माता-पिता द्वारा शिशुओं की पिटाई तक की जाती है जो कि शैशव मन पर जीवन-भर के लिये घाव करती है।

— घर-परिवार की कठोरता से जो छूट जाता है उसकी पूर्ति के लिये दो-ढाई वर्ष के शिशुओं को अध्यापक-अध्यापिकाओं को सौंपा जा रहा है। इस व्यवस्था की सर्वग्रासी होड़-प्रतियोगिता-कम्पीटीशन माता-पिताओं को इसके लिये मजबूर कर रही है। अनुशासन दर अनुशासन कोमल भावनाओं के लिये कोई स्थान नहीं छोड़ रहा।

— इस व्यवस्था में माता-पिता दोनों द्वारा नौकरी-धन्धा करने और दादा-दादी/नाना-नानी से दूरी बनाने की मजबूरियाँ शिशु गृहों में दिहाड़ीदारों की देखरेख में बच्चों को रख रही हों चाहे समय व उर्जा की कमी के संग तनाव हों, शिशुओं को वात्सल्य से अधिकाधिक वंचित किया जा रहा है।

— शिशुओं के प्रति प्रकट की जाती अधिकतर भावनायें वास्तव में माता-पिता के प्रति बन्दे की भावनाओं का विद्रुप-रूप होती हैं। यह शिशुओं को असहजता की घुट्टी पिलाती हैं। और, इस व्यवस्था में भागमभाग वाली जिन्दगी लिये बड़े लोग शिशुओं को पुचकारने-बहलाने-बहकाने के लिये ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि शिशु-अवस्था में ही बच्चे टेढेपन में दीक्षित हो रहे हैं।

नीति, पार्टी, नेता बदलने से इस सब में कोई फर्क पड़ेगा क्या? (जारी)

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद—121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

कानून हैं शोषण के लिये और छूट है कानून से परे शोषण की

कानून : ●37-40 दिन काम करने पर 30 दिन की तनखा, अगले महीने की 7-10 तारीख तक दे ही देना; ●8 घण्टे की ड्युटी, तीन महीने में 50 घण्टे से ज्यादा ओवर टाइम काम नहीं, ओवर टाइम का भुगतान वेतन की दुगनी दर से; ● सप्ताह में एक छुट्टी व 8 घण्टे प्रतिदिन ड्युटी पर महीने में अकुशल श्रमिक-हैल्पर की कम से कम तनखा 2244 रुपये (हरियाणा) व 2784 रुपये (दिल्ली), कुशल मजदूर की 2505 रुपये (हरियाणा) व 2950 रुपये (दिल्ली), उच्च कुशल मजदूर 2804 (हरियाणा) व 3208 रुपये (दिल्ली)

श्याम टैक्स इन्टरनेशल मजदूर : "प्लॉट 4 1 DVj-6 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं -- ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं। मई माह का वेतन आज 22 जून तक नहीं दिया है।"

रिंकू रबड़ वरकर : "प्लॉट 44 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री में 7 ठेकेदारों के जरिये हम 150 मजदूर रखे गये हैं। हैल्परों को 1200 रुपये महीना तनखा देते हैं। ई.एस.आई. व पी.एफ. के नाम से तनखा से पैसे काटते हैं पर ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते और निकाल देते हैं तब फण्ड निकालने का फार्म नहीं भरते। फैक्ट्री में जूते-चप्पल बनते हैं और रोला व प्रेस में हाथ कटते रहते हैं। बहुत-ही गन्दा माल बॉयलर में भरना पड़ता है। डायरेक्टर गालियाँ देता है, थप्पड़ भी मार देता है। मई की तनखा आज 12 जून तक नहीं दी है।"

सुरभि इन्डस्ट्रीज मजदूर : "प्लॉट 318 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में स्थाई मजदूरों को 2200 रुपये महीना तनखा देते हैं लेकिन भविष्य निधि की राशि 1800 रुपये तनखा पर ही काटते हैं। हैल्परों को 1400 रुपये महीना वेतन देते हैं।"

शिवालिक ग्लोबल वरकर : "12/6 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में हैल्परों को अप्रैल का वेतन 27 मई को और स्टाफ (ऑपरेटरों) को 2 जून को जा कर दिया। मई माह की तनखा आज 18 जून तक कम्पनी ने किसी को नहीं दी है। अप्रैल में करवाये ओवर टाइम के पैसे अब तक नहीं दिये हैं। फैक्ट्री में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है।"

नेशनल इन्डस्ट्रीज मजदूर : "प्लॉट 121 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों को 1700 रुपये महीना तनखा देते हैं। एक शिफ्ट है 12 घण्टे की -- रविवार को भी 12 घण्टे काम। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल दर से। हम 50 मजदूरों में एक भी स्थाई नहीं है -- डाक द्वारा आया पत्र नहीं देते, भोजन अवकाश के दौरान भी कोई मिलने आता है तो मिलने नहीं देते। फैक्ट्री में **डेन्सो** और **ए बी बी** के लिये बिजली के पुर्जे बनते हैं।"

ब्रॉन लैबोरेट्री वरकर : "13 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में मई का वेतन आज 16 जून तक नहीं दिया है।"

जी.बी. सोल मजदूर : "5 सी, मुजेसर स्थित फैक्ट्री में सुबह 8½ से रात 7½ बजे तक 11 घण्टे की ड्युटी है। ई.एस.आई. कार्ड नहीं, पी. एफ. नहीं। पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है। शनिवार को छुट्टी कर लेने पर दो दिन के पैसे काट लेते हैं। हैल्परों को 1400-1500 रुपये महीना देते हैं।"

गैरीसन टूल्स वरकर : "प्लॉट 99 संजय कॉलोनी, सैक्टर-23 स्थित फैक्ट्री में 10-12 मजदूर स्थाई हैं और 100 से अधिक कैजुअल। एक शिफ्ट है 12 घण्टे की और गेट पर ताला लगा कर 16 घण्टे रोक लेते हैं -- नहीं रुकने पर मारपीट करते हैं। ओवर टाइम का कोई हिसाब नहीं, महीने के 200-300-500 रुपये पकड़ा देते हैं। हैल्परों को 15-1600 रुपये महीना तनखा देते हैं -- दूसरे महीने की 25-28 तारीख को जा कर देते हैं। नौकरी छोड़ने अथवा निकालने पर बकाया पैसे देते ही नहीं।"

सीटीज मजदूर : "प्लॉट 38 सैक्टर-6 स्थित **निकीताशा** का नाम **हिल्टा** के बाद अब सीटीज है और यहाँ मई का वेतन आज 16 जून तक नहीं दिया है। फैक्ट्री में कार्यरत 150 स्थाई व 40 कैजुअल वरकरों की 8-8 घण्टे की तीन शिफ्ट हैं लेकिन 5 ठेकेदारों के जरिये रखे 150 मजदूरों की 12 घण्टे की एक शिफ्ट है -- ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से और हैल्परों की तनखा 1500 रुपये महीना।"

सुडट्रैक वरकर : "13/3 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में 8-10 स्थाई मजदूर और दस ठेकेदारों के जरिये रखे 500-600 वरकर काम करते हैं। हैल्परों को 1400-1500 रुपये महीना तनखा देते हैं। मई का वेतन आज 18 जून तक नहीं दिया है। फैक्ट्री में 12 घण्टे की एक शिफ्ट है और ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं। कैन्टीन नहीं है।"

सुपर आटो मजदूर : "प्लॉट 84 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों को 1400-1500 और ऑपरेटरों को 1700-1800 रुपये महीना तनखा देते हैं। ढाई-तीन सौ मजदूरों में से 5-7 के नाम ही रजिस्टर में हैं और 25-30 स्टाफ वालों में से 5-6 के ही। हर तीन महीने बाद 4 फोटो माँगते हैं पर ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते, प्रोविडेन्ट फण्ड नहीं है। गर्मियों में पीने के लिये ठण्डे पानी का प्रबन्ध नहीं है। कम्पनी के साइकिल स्टैण्ड से साइकिल चोरी को भुगते वह मजदूर जिसकी साइकिल चोरी हुई। प्रेस शॉप में हाथ कटते रहते हैं -- इलाज करवा कर निकाल देते हैं। इन दो वर्ष में दस के हाथ कटे हैं।"

चाँद इन्डस्ट्रीज वरकर : "7 सी/1 एन एच स्थित फैक्ट्री में रोज 12 घण्टे काम करना पड़ता है, रविवार को भी। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं।"

एस.पी.एल. मजदूर : "प्लॉट 21 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में तीन महीने से हमारा प्रोविडेन्ट फण्ड काटना बन्द कर दिया है। ड्युटी रोज 12 घण्टे -- रविवार की साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं।"

के.के. कोहली ब्रॉदर्स मजदूर : "14/5 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में अप्रैल माह की पूरी तनखा भी आज 18 जून तक नहीं दी है।"

एस्कोर्ट्स आटोमोटिव्ज वरकर : "अप्रैल की तनखा 2 जून को जाकर दी और मई की आज 15 जून तक नहीं दी है। कैजुअल वरकरों का 2001-02 का बोनस भी नहीं दिया है। फैक्ट्री में 14 जून को फिर एक कैजुअल ने एक मैनेजर को पीट दिया और कम्पनी ने पुलिस बुला ली। इधर एस्कोर्ट्स कम्पनी ने यहाँ के 7 मैनेजरों से इस फैक्ट्री का सौदा कर लिया है।"

और बातें यह भी

के.जी. निटिंग मजदूर : "15/1 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में के.जी. निटिंग के संग के. जी. इम्ब्राइडरी भी है। निटिंग में हम मजदूरों में आपस में तालमेल हैं और हम ने यहाँ कम्पनी को ठेकेदारी-प्रथा लागू नहीं करने दी हैं -- निटिंग में हम सब स्थाई मजूदर हैं। लेकिन इम्ब्राइडरी में आधे ही स्थाई हैं और आधे ठेकेदार के जरिये रखे गये वरकर हैं -- श्रम विभाग के एक अधिकारी के बेटे का ठेका है।"

इन्डीकेशन वरकर : "प्लॉट 3 सैक्टर-5 स्थित फैक्ट्री में संसद के लिये मतदान वाली 10 मई को कार्य बन्द के बदले में मैनेजमेन्ट ने रविवार की साप्ताहिक छुट्टी के दिन फैक्ट्री में काम करने को कहा। फैक्ट्री के यूनियन लीडरों ने 10 मई की सरकारी छुट्टी है कह कर बदले में काम करने से इनकार कर दिया। इस पर इन्डीकेशन मैनेजमेन्ट ने 3 लीडर निलम्बित कर दिये। इधर मैनेजमेन्ट और यूनियन में यह समझौता हुआ कि निलम्बित नेताओं को ड्युटी पर लिये जाने के बदले में एक साप्ताहिक छुट्टी के दिन फैक्ट्री में काम होगा।"

सबटल एक्सपोर्ट मजदूर : "प्लॉट 181 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री 17.3.02 को बन्द कर हम 70 मजदूर सड़क पर धकेल दिये गये। कम्पनी ने हमें हिसाब नहीं दिया। हम ने श्रम न्यायालय में मामला दायर किया है -- इस बार 8 महीने बाद की तारीख पड़ी है।"

कृष्णा ट्रिम वरकर : "प्लॉट 77 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री मैनेजमेन्ट ने न्यायालय से हम 140 मजदूरों के खिलाफ आदेश लिया। आदेश : फैक्ट्री गेट से 300 मीटर दूर रहो! पचास मीटर की बात होती थी, जब-तब 100 मीटर की भी पर यह 300 मीटर ..... यह तो हमें फैक्ट्री से ओझल करने के लिये है। पता चला है कि यह तैयारी कम्पनी ने पहले ही कर ली थी। हम 15 मार्च से फैक्ट्री के बाहर हैं और जिस यूनियन को हम ने चन्दा दिया उसके बड़ी-बड़ी बातें करने वाले लीडर अब हमारे बुलाने पर भी नहीं आते। हम फँसा दिये गये हैं। हम **(बाकी पेज चार पर)**

सीमाहीन हेराफेरी-निष्ठुरता

आदर्श फैब्रीकेटर मजदूर : " प्लॉट 212 सैक्टर- 24 स्थित फैक्ट्री में ई.एस.आई. कार्ड दिये हैं, प्रोविडेन्ट फण्ड की पर्ची भी देते हैं। हैल्परों से रजिस्टर में 2245 रुपये महीना तनखा पर हस्ताक्षर करवाते हैं परन्तु देते 1200 रुपये हैं। कारीगरों को 1500- 1600 रुपये महीना तनखा के तौर पर हाथ में पकड़ाते हैं। कागजों में नियम- कानूनों की खानापूर्ति करने वाला डायरेक्टर बहुत गालियाँ देता है।"

श्री इन्डस्ट्रीज वरकर : "प्लॉट 102 सैक्टर- 6 स्थित फैक्ट्री में तबीयत खराब होने पर भी छुट्टी नहीं देते — जबरन 12 घण्टे काम करवाते हैं। एक कप चाय तक कम्पनी नहीं देती। ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं — हम से फोटो मँगवाये थे पर अब उन्हें कबाड़े में फेंक दिया है। रजिस्टर में हस्ताक्षर 3500 पर करवाते हैं परन्तु देते 1500 रुपये महीना हैं। ठेकेदार के जरिये रखे वरकरों को 1800 रुपये महीना तनखा देते हैं।"

सेक्युरिटी गार्ड : " बल्लभगढ में आकाश सिनेमा के पास कार्यालय वाली **मेजर सेक्युरिटी सर्विस** साप्ताहिक छुट्टी नहीं देती। महीने के तीसों दिन काम के बदले 1760 रुपये देते हैं और इन 1760 में से ही ई. एस.आई. व पी.एफ. के पैसे काटते हैं। हमारे हाथ में 1500- 1550 रुपये आते हैं। वेतन रजिस्टर पर जब हस्ताक्षर करवाते हैं तब उसमें राशि लिखी नहीं होती। वर्ष- भर में 26 जनवरी, 15 अगस्त व 2 अक्टूबर की ड्युटी के लिये 50- 50 रुपये देते हैं — 365 दिन में तीन 'छुट्टी'।"

सी.एन.सी. ऑपरेटर : "फरीदाबाद से आई.टी.आई. कर मैंने नोएडा में एक फैक्ट्री में अप्रेन्टिसशिप की। फिर यहाँ लौट कर मैं कई कम्पनियों में काम कर चुका हूँ— सुपर आटो, साधु फोरजिंग, ओसवाल इलेक्ट्रिकल्स, ओल्ड में एक फैक्ट्री जिसका नाम याद नहीं आ रहा। हर जगह मैंने पाया है कि भर्ती के समय जो तनखा बताते हैं उस से कम तनखा बाद में देते हैं — बताई 3800 रुपये, दी 2800 रुपये।"

बिना नाम कम्पनी मजदूर : " प्लॉट 40 सैक्टर- 24 स्थित फैक्ट्री के गेट पर नाम नहीं लिखा है और न ही किसी वरकर को कम्पनी का नाम मालुम। ड्युटी 12 घण्टे की है जिसके बदले महीने में 1200- 1400 रुपये देते हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं, पी.एफ. नहीं। महिला मजदूरों से पावर प्रेस चलवाते हैं — उँगलियाँ कटती रहती हैं। एक महिला की उँगलियाँ तो कल, 15 जून को ही पावर प्रेस में कटी। एक अन्य महिला मजदूर की उँगलियाँ 7 जून को कटी थी।"

गुडईयर टायर वरकर : "फैक्ट्री में ठेकेदार ही ठेकेदार हैं। सब ठेकेदार ओवर टाइम काम करवाते हैं और इसकी भुगतान सिंगल दर से करते हैं। एक ठेकेदार का मुन्शी तो हर महीने तनखा में से 100 रुपये वसूलता है।"

पोलर इन्डस्ट्रीज मजदूर : " 20/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में घाटे को कारण बता कर मैनेजमेन्ट ने 4 जून को तालाबन्दी कर दी। तीन साल पहले मोटर और पम्प डिविजन बन्द किये पर अब भी इधर- उधर से माल ले कर उनकी मार्केटिंग जारी है। दरअसल पोलर पँखे आदि बनाने के लिये कम्पनी ने 6 महीने पहले रुड़की में एक नई फैक्ट्री तैयार कर ली है। ऐसे में यहाँ की फैक्ट्री की जमीन बेच दी है — आधी को 30 जून तक खाली करने और बाकी को अक्टूबर में खाली करने का वादा किया है। अँग्रेजी अखबारों में फैक्ट्री की मशीनरी बिकाऊ के इश्तिहार कम्पनी फरवरी से दे रही है।"

मजदूर समाचार में साझेदारी के लिये :

★ अपने अनुभव व विचार इसमें छपवा कर चर्चाओं को कुछ और बढवाइये। नाम नहीं बताये जाते और अपनी बातें छपवाने के कोई पैसे नहीं लगते। ★ बाँटने के लिये सड़क पर खड़ा होना जरूरी नहीं है। दोस्तों को पढवाने के लिये जितनी प्रतियाँ चाहियें उतनी मजदूर लाइब्रेरी से हर महीने 10 तारीख के बाद ले जाइये। ★ बाँटने वाले फ्री में यह करते हैं। सड़क पर मजदूर समाचार लेते समय इच्छा हो तो बेझिझक पैसे दे सकते हैं। रुपये- पैसे की दिक्कत है।

महीने में एक बार छापते हैं, 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

शिवानी लॉक्स

शिवानी लॉक्स मजदूर : "प्लॉट 58- 59- 60 सैक्टर- 27 ए स्थित फैक्ट्री में अब कारों के सामान्य तालों की जगह रिमोट लॉक्स बनते हैं। दो कैन्टर उत्पादन तो रोज गुड़गाँव मारुति फैक्ट्री को जाता है। जनरल मोटर, हिन्दुस्तान मोटर, फोर्ड, महिन्द्रा, डेवू, टाटा कारों के लिये भी रिमोट लॉक्स यहाँ बनते हैं। टाटा 407 के विन्डो रेग्युलेटर भी बनते हैं। कम्पनी ने आई एस ओ, क्यू एस, 5 एस लेबल ले रखे हैं।

" शिवानी लॉक्स फैक्ट्री में मशीनों के पास से स्टूल हटा दिये गये हैं — 8 से 12 घण्टे लगातार खड़े रहना पड़ता है। फैक्ट्री में कैन्टीन नहीं है, लन्च रूम भी नहीं है और मशीनों के बगल में मजदूर भोजन करते हैं। आई एस ओ - फाई एस ओ लिये कम्पनी बिजली की बचत के लिये भोजन अवकाश के समय पँखे बन्द कर देती है — खाना खाते समय मजदूर पसीने- पसीने हो जाते हैं। मजदूरों की परेशानी सुनने को मैनेजमेन्ट तैयार ही नहीं है — रिमोट लॉक्स का उत्पादन आरम्भ होने के बाद से कम्पनी चेयरमैन डी.एन. कथुरिया कहता है कि उसे काम मजदूरों से नहीं, स्टाफ (डिप्लोमा वालों) से लेना है।

"1987 में फैक्ट्री में कारों के सामान्य तालों का उत्पादन आरम्भ हुआ था और 12- 13 साल में जमीन खरीद कर दूसरा प्लान्ट भी बना लिया। दूसरे प्लान्ट में उत्पादन आरम्भ करने के समय पहले प्लान्ट में मैनेजमेन्ट ने यूनियन बनाने और यूनियन तोड़ने का 15- 20 दिन नाटक किया। आयशर ट्रैक्टर के लीडर के जरिये शिवानी लॉक्स के गेट पर शान्ति का प्रतीक कह कर सफेद झण्डा लगाया गया। फैक्ट्री में से जिन 8 लोगों को लीडर बनाया वे सब हिसाब ले गये — महासचिव को कम्पनी ने सरफेस ग्राइन्डर व ड्रिल मशीनें दी और गेज बनाने के आर्डर.... कुछ दिन बाद आर्डर देने बन्द कर दिये और मजदूर से महासचिव से वर्कशॉपवाला बना बन्दा मशीनों के बिकने के संग फिर काम ढूँढ रहा मजदूर बन गया। रिमोट लॉक्स के 1999- 2000 में उत्पादन आरम्भ के वक्त के इस वाकये के बाद मैनेजमेन्ट ने पहले प्लान्ट से एक- एक, दो- दो मजदूरों पर मारपीट के आरोप लगा कर स्थाई मजदूरों को नौकरी से निकालने का सिलसिला शुरू किया जो अब भी जारी है। अब 50 से भी कम स्थाई मजदूर बचे हैं और रिमोट लॉक्स उत्पादन के संग डिप्लोमा वालों की भर्ती कर 'स्टाफ' के 110 लोग कर दिये हैं।

" चेयरमैन बेशक कहता है कि उसे मजदूरों से कोई मतलब नहीं है पर पहले प्लान्ट में ही कम्पनी ने एच.आई.एस. एस. ठेकेदार के जरिये 200 वरकर रखे हैं। असेम्बली में 4 की जगह 6 लाइन कर दी हैं और प्रेस शॉप बहुत बढा दी है। प्रेस शॉप में मात्र 3 स्थाई मजदूर बचे हैं जो डाई सैट करते हैं। ठेकेदार के जरिये रखे मजदूरों से प्रेस शॉप में मशीनें चलवाते हैं और मशीनों पर हाथ बहुत कटते हैं। ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें किसी मजदूर का हाथ नहीं कटता। ई.एस.आई. अस्पताल में ले जाते हैं और उँगली कटों को फिर नौकरी में नहीं रखते।

"शिवानी लॉक्स में सुबह 8½ से 5 बजे तक एक शिफ्ट थी पर रात 9 बजे जा कर छोड़ते थे। इधर तीन महीने से दो शिफ्ट कर दी हैं — सुबह 7 से 3½ और साँय 3½ से रात 12 बजे तक। रविवार को 7 से 3½ की शिफ्ट ही। ओवर टाइम काम के पैसे ठेकेदार के जरिये रखे वरकरों को सिंगल रेट से देते हैं। स्थाई मजदूरों को ओवर टाइम सन् 2000 तक सिंगल दर से था, फिर 2003 तक सवा की दर से और अब डेढ की दर से देते हैं। हस्ताक्षर डबल की दर से भुगतान पर करवाते हैं। कम्पनी अब ऐसे करती है: 30 घण्टे के ओवर टाइम को कागजों में 22½ घण्टे दिखाती है और 45 घण्टे के पैसे देती है — डेढ की दर हो गई डबल दर!

" क्यू एस वाले अथवा फोर्ड या जनरल मोटर कार वाले जब शिवानी लॉक्स फैक्ट्री के दौरे पर आते हैं तब ठेकेदार के जरिये रखे वरकरों को वर्दी, चश्मा, इयर प्लग दे देते हैं और उनके जाने के आधे घण्टे बाद वापस ले लेते हैं।"

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी, आटोपिन झुग्गी,
एन.आई.टी फरीदाबाद--121001

कालकोठरियों में दरारें

इन्जेक्टो लिमिटेड मजदूर : "20/5 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में चार वर्ष से हम तनखाओं के लिये परेशान हैं। इस दौरान हमारी 5-6 महीनों की तनखायें हर समय बकाया रही हैं। फैक्ट्री में स्टील, ताम्बा, रबड़, प्लास्टिक की होज पाइप, फ्युअल पाइप, नोजल पाइप बनती हैं और बजाज ऑटो, अशोक लीलैण्ड, मारुति, मार्क ऑटो, हिन्दुस्तान मोटर्स, सुन्दरम ग्रुप आदि को सप्लाई की जाती हैं।

" तीस वर्ष पूर्व इन्जेक्टो लिमिटेड में 180 स्थाई तथा 60 कैजुअल वरकर थे। सन् 2000 में 110 स्थाई मजदूर बचे थे। कम्पनी ने 4 ठेकेदारों के जरिये 50 वरकर रखे और स्थाई मजदूरों को काम नहीं दे कर इन मजदूरों को काम देने की नीति पर चली। 25-30 वर्ष की नौकरी वाले स्थाई मजदूरों को ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों की हैल्परी में लगाया। ठेकेदारों के जरिये रखों को हर महीने तनखा और स्थाई मजदूरों की 6 महीनों की तनखायें बकाया। ऐसे में इन चार वर्षों में 30 स्थाई मजदूर परेशान हो कर नौकरी छोड़ गये।

"इन बातों को 20 वर्ष से ऊपर हो गये हैं। पहले-पहल हम ने सीटू यूनियन का झण्डा लगाया था। सीटू लीडरों द्वारा गड़बड़ करने पर हम ने उनका झण्डा हटा कर एटक का झण्डा लगाया। एटक वालों द्वारा गड़बड़ी करने पर हम ने एच एम एस का झण्डा लगाया। एच. एम. एस. के लीडरों द्वारा गड़बड़ करने पर हम ने एल. एम. एस. का झण्डा लगाया। पहले हम मजदूरों में आपस में इतने तालमेल थे कि यूनियन के बड़े नेताओं द्वारा थोड़ी गड़बड़ी करने पर हम उनका झण्डा ही हटा देते थे। लेकिन इधर एल एम एस की गड़बड़ियों को हम बरसों से झेल रहे हैं। कारण यह है कि अब हम में आपस में तालमेल कम हैं — अब फैक्ट्री में बचे हम 80 स्थाई मजदूरों में से 20 तो साफ-साफ कहने लगे हैं कि वे किसी भी हालत में कम्पनी के खिलाफ कदम नहीं उठायेंगे।

" यूनियनों के झण्डों को बदलने के संग-संग हम अपने में से लीडर बनाते-बनाते परेशान हो गये। अपने में से जिनको सब से विश्वसनीय और भरोसेमन्द समझ कर नेता बनाते हैं वे लोग लीडर बनते ही कम्पनी के पक्ष में हो जाते हैं। मैनेजमेन्ट आमतौर पर दो मुख्य नेताओं से ही बात करती है और यह लोग हर बार कम्पनी के पक्ष में हो जाते हैं। यूनियन के अन्य पदाधिकारियों से आमतौर पर मैनेजमेन्ट बात ही नहीं करती। ऐसे में कुछ नेता मजदूरों के पक्ष में रहते हैं तो भी उससे मजदूरों के हित में कुछ नहीं होता।

"इन सब हालात के दृष्टिगत सन् 2001 में हम 10 लोगों ने कम्पनी पर दबाव डालने के लिये आपस में तालमेल कायम किया। एक पड़ोसी के सुझाव पर हम में से कुछ लोग बाटा फैक्ट्री के यूनियन लीडर से मिले। उन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिये जाने, केस में परेशान होने, ठोकर खा-खा कर भूखे मर जाने के डर दिखा कर जैसे भी तनखा मिलती है लेते रहने और वहीं रहने को कहा। हम लोगों ने संघर्ष में डटे रहने की इच्छा फिर भी जाहिर की तो उन्होंने सब लोगों को दफ्तर में मिलने को कहा। दफ्तर गये तो हम ने उसे एटक का दफ्तर पाया। वहाँ लीडरों ने बातें कर कार्रवाई के लिये तीन दिन बाद फिर मिलने को कहा। एटक दफ्तर से बाहर आते ही हम ने अपने पिछले अनुभवों को देखते हुये वहाँ फिर नहीं जाने का फैसला किया।

" एक अन्य पड़ोसी के सुझाव पर हम एक अन्य लीडर से मिले। उस लीडर ने 'सदस्यता' के लिये प्रत्येक से 350 रुपये लिये और 4 माह की बकाया तनखाओं व एक वर्ष के बकाया बोनस के लिये श्रम न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। केस तीन साल बाद अब भी चल रहा है और 23 जुलाई की तारीख पड़ी है — इस दौरान उन चार महीनों की तनखायें दी जा चुकी हैं पर बोनस चार साल बाद भी नहीं। तारीख के, कागज के खर्चे के लिये हम 10 लोग जरूरत अनुसार उसी वक्त आपस में पैसे एकत्र करते रहे हैं। एल.एम.एस. यूनियन को भी हम चन्दा देते रहे हैं पर एल एम एस लीडरों ने केस उनके हवाले करने को कहा तो हम ने इनकार कर दिया।

"हम सोचते थे कि बोनस की राशि मिलते ही हम लगातार बकाया हो रही तनखाओं के लिये अन्य मुकदमे दायर करेंगे पर अब तक वह बोनस मिला ही नहीं है। लगातार बकाया रह रही तनखाओं के लिये हम ने यूनियन लीडरों पर भी लगातार दबाव बनाये। सन् 2003 के आरम्भ में 10 अन्य मजदूर हमारे साथ जुड़ गये — उन्होंने भी केस करने के लिये 'सदस्यता' ली। अप्रैल 03 में हम 20 ने श्रम न्यायालय में बकाया तनखाओं व बोनस के लिये दूसरा मुकदमा किया। छोटे-मोटे खर्चे के लिये तत्काल पैसे एकत्र करने की बजाय इधर अप्रैल 04 से हम 20 ने 10-10 रुपये प्रतिमाह आपस में इक्ट्ठे करने का तय किया है।

" 'जिस पार्टी की सरकार उसका मजदूर संगठन और उसके सदस्य भूखे मरें!' के तहत इन्जेक्टो के मजदूर एल एम एस यूनियन पर लगातार दबाव बनाये रहे हैं। इस वजह से यूनियन को प्रशासन व श्रम विभाग में बार-बार शिकायतें करनी पड़ी हैं। दो बार सब मजदूरों को ले कर यूनियन को डी.सी. दरबार जाना पड़ा है और एक बार डी.एल.सी. दफ्तर। बकाया तनखाओं के बारे में डी.एल.सी. के यहाँ मैनेजमेन्ट और यूनियन के बीच तीन समझौते हुये हैं लेकिन कम्पनी ने अमल किसी पे नहीं किया। डी.सी. शिकायतें डी.एल.सी. को भेज देता है और हम मजदूरों को देखते-देखते डिप्टी लेबर कमिश्नर परेशान हो गई तब एस.डी.एम. को पत्र लिख कर बकाया तनखाओं का भुगतान करवाने में अपनी अमर्थता जताई।

"यूनियन की अगुआई में 20 जनवरी 04 को मजदूर एस.डी.एम. के यहाँ पहुँचे। डी.एल.सी. और डी.एस.पी. की उपस्थिति में एस.डी.एम. के समक्ष कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने शपथपत्र दिया कि हर महीने डेढ महीने की तनखा दे कर 30 जून तक बकाया तनखायें निपटा दी जायेंगी। कम्पनी का अमल पुराने ढर्रे वाला ही रहा। जून-अन्त तक जनवरी 04 की आधी तनखा तक ही दी हैं — फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की तनखायें आज 30 जून तक नहीं दी हैं।

"एस.डी.एम. के यहाँ दिये शपथपत्र के उल्लंघन की कोई शिकायत यूनियन ने नहीं की बल्कि वर्षों से बन्द गुड़-साबुन को फरवरी से फिर शुरू करवाने और जून में फैक्ट्री पर एक्साइज विभाग के छापे को तनखायें नहीं देने के लिये दलीलों के तौर पर पेश करने लगी। हम 20 में से कुछ लोग 23 जून को एस.डी.एम. के पास गये और कुछ लोग डी.एल.सी. के पास। नये आये एस.डी.एम. ने मामले को सैक्टर-7 थाने में भेज दिया जहाँ पुलिस ने तनखाओं के मामले में कुछ भी करने में असमर्थता जता दी। डी.एल.सी. ने कार्य की अधिकता कह कर मामला श्रम अधिकारी के पास भेज दिया। हम से तंग श्रम अधिकारी ने 24 जून की सुबह व फिर शाम की तारीख के बाद 25 की तारीख दी और फिर मामले के समाधान में असमर्थता जाहिर कर वापस डी.एल.सी. के पास भेज दिया। डी.एल. सी.ने 2 जुलाई की तारीख दी है।

" कम्पनी ने अपना बैंक बदला है और अप्रैल में 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। चर्चा यह भी है कि इन्जेक्टो लिमिटेड का आधा प्लॉट बेच दिया गया है। इन्जेक्टो का उत्पादन बहुत हो रहा है पर फैक्ट्री में उत्पादन से ज्यादा उत्पादन फैक्ट्री से बाहर दसियों जगह पर करवाया जा रहा है। हम 20 को कदम वापस लेने, नये कदम उठाने से रोकने के लिये कम्पनी ने हाल ही में हम 20 को छोड़ कर अन्य सब स्थाई मजदूरों की वार्षिक वेतन वृद्धि भी की है। इधर हम 20 ने तनखायें नहीं दी जाने की शिकायतें मानव अधिकार आयोग, श्रम सचिव हरियाणा सरकार, श्रम सचिव भारत सरकार को भी की हैं।"

और बातें यह भी

(पेज दो का शेष)

स्वयं ही अब इधर-उधर की जो भागदौड़ है वह कर रहे हैं।"

क्लच आटो मजदूर : " 12/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में मई का वेतन हम मजदूरों को तो दे दिया है पर स्टाफ को आज 18 जून तक नहीं दिया है।"

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। **RN 42233** पोस्टल रजिस्ट्रेशन **L/HR/FBD/73**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी—546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।